कार्यालय परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना कोसीर, जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ0ग0)

–: आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु ऑनलाईन विज्ञापन :–

क्रमाक / 446 /स्था/बा.वि.परि./2026–27 **कोसीर, दिनांक : 25.11.2026**

कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना कोसीर, जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ0ग0) अंतर्गत निम्नानुसार आंगनबाड़ी केन्द्र के नाम के सम्मुख आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पद में नियुक्ति के लिए ऑनलाईन आवेदन आंमत्रित किया जा रहा है। नियुक्ति हेतु इच्छुक आवेदिका **दिनांक 26.11.2026 से 11.12.2026** तक ऑनलाईन पोर्टल https://aww.e-bharti.in में ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। रिक्त पदों की सूची निम्नानुसार है–

क्रमांक	ग्राम पंचायत/ग्राम का नाम	आं.बा. केन्द्र का नाम	रिक्त पद का नाम	रिमार्क
1.	खोखसीपाली	खोखसीपाली खोलपारा	आंगनबाड़ी सहायिका 01 पद	

आवेदन किये जाने हेतु निम्नानुसार अर्हताएँ है :–

1. आंगनबाड़ी सहायिका का पद पूर्णतः अस्थायी/मानसेवी होगा। शासन द्वारा निर्धारित दर पर प्रति माह मानदेय भुगतान किया जावेगा।
2. जिस ग्राम में आंगनबाड़ी पद रिक्त है आवेदिका उसी ग्राम की स्थानीय निवासी होना चाहिए। आवदेन पत्र के साथ निवास के संबंध में निम्न में से काई एक दस्तावेज संलग्न किया जावेगाः–
   (क) जिस ग्राम में आंगनबाड़ी पद रिक्त है उस ग्राम की अद्यतन मतदान सूची में नाम दर्ज हो, तो आवेदन पत्र में उसका उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जावे।

   अथवा

   (ख) संबंधित ग्राम के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जिसमें ग्राम में निवासरत रहने का पता का स्पष्ट उल्लेख हो।
3. आवेदिका का उम्र 18 वर्ष से कम तथा 44 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आयु की गणना आवेदन आमंत्रित करने की तिथि से की जायेगी।
4. आवेदिका को आवेदन करते समय अपने दस्तावेजो में स्व प्रमाणित हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
5. आवेदन में वर्तमान का नवीन पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा करना अनिवार्य होगा।
6. आवेदिका को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु 12वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं **सहायिका पद हेतु कक्षा 8वीं** का अंक सूची संलग्न करना अनिवार्य होगा। **ग्रेडिंग की दशा में संबंधित संस्था के प्रधानपाठक से सत्यापित अंक सूची संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसमें पूर्णांक एवं प्राप्तांक या प्रतिशत का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्यथा मूल्यांकन नही किया जावेगा।** यदि उस ग्राम में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता वाली आवेदिका अनुपलब्ध हो, तो नियमानुसार शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता प्रदान की जावेगी।
7. अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदिकाओं को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 10 अंक प्रदाय किया जावेगा।
8. **गरीबी रेखा हेतु एस.ई.सी.सी. 2011 की प्रभावशील सूची से स्वतः शामिल सूचकांक अथवा वंचन सूचकांक में शामिल परिवार के सदस्य होने पर सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण–पत्र पर 06 अंक दिया जावेगा।** इस हेतु संबंधित परिवार से सदस्यता के संबंध में राशन कार्ड की प्रति भी संलग्न करना अनिवार्य है। केवल वंचन सूचकांक डी 5 अंतर्गत सम्मिलित परिवार होने पर गरीबी रेखा अथवा जाति के आधार पर किसी एक योग्यता पर ही अंक दिया जावेगा ।
9. **अनुसूचित जाति/जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम में 8वी तक अध्ययन करने पर 3 अंक** प्रदाय किया जाएगा। तद् संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करे।
10. **विधवा/परित्यकता/तलाकशुदा महिलाओं को 15 अंक अतिरिक्त दिया जावेगा।** इस हेतु आवेदिका को निम्नानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगाः–

Scanned with OKEN Scanner

(क) परित्यकता के संबंध में निम्न में से कोई एक प्रमाण पत्र मान्य होगाः

1) संबंधित ग्राम पंचायत के **सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र** दिया गया हो, तो उसे प्रस्तुत किया जावे।

अथवा

2) न्यायलय द्वारा जारी तत्संबंधी आदेश की प्रति।

(नोटः– परित्यकता महिला के संबंध में 02 वर्ष से अधिक की ही अवधि को मान्य किया जावेगा।)

(ख) तलाकशुदा महिला होने के संबंध में न्यायलयीन आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(ग) यदि शासन से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता/पेंशन प्राप्त किया जा रहा है तो उसका प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

11. पूर्व से कार्यरत **न्यूनतम एक वर्ष की अनुभव धारण करने वाली सहायिका को 06 अंक** अतिरिक्त प्रदान किया जावेगा। तद् संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. निर्धारित योग्यता में **60 प्रतिशत** अंक आधार पर प्रवीण्य सूची तैयार की जावेगी।
13. आवेदिका आवेदन करते समय अपने सम्पूर्ण दस्तावेजों का स्वयं भली–भाति जाचं कर लेवें। बाद में अथवा दावा आपत्ति के समय अंक प्रदान करने हेतु प्रस्तुत नवीन दस्तावेज मान्य नहीं होगा। दावा आपत्ति में आवेदन के समय प्रस्तुत दस्तावेजों पर ही आपत्ति स्वीकार किये जावेगें।
14. **त्रुटि पूर्ण आवेदन/अस्पष्ट आवेदन होने पर आवेदन निरस्त माना जावेगा।**
15. निर्धारित समय तिथि के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
16. **कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना कोसीर** में कार्यालयीन समय/दिवस पर https://aww.e-bharti.in में ऑनलाईन आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेगें।
17. **किसी भी माध्यम से ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नही किये जायेंगे।**
18. **उपयोगकर्ता स्वयं के मोबाईल नंबर से उपर दिये गये लिंक पर रजिस्टर कर लॉग इन की प्रक्रिया कर सकते है। लॉग इन पश्चात् आवेदन की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी उपयोगकर्ता मैनुअल पर देखी जा सकती है।**

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
कोसीर, जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़(छ0ग0)

पृ0क्र0/ 446 अ/स्था/बा.वि.परि./2026–27 **कोसीर, दिनांक : 25.11.2026**

प्रतिलिपिः–

1. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, सारंगढ़–बिलाईगढ़ छ0ग0 को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. जिला जन संम्पर्क अधिकारी, सारंगढ़–बिलाईगढ़ छ0ग0 की ओर सूचनार्थ कर सादर संप्रेषित कृपया स्थानीय समाचार पत्रों में समाचार वृत्त के रूप में निशुल्क प्रकाशन कराने का कष्ट करें।
3. माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/जनपद सदस्य जनपद पंचायत सारंगढ़–बिलाईगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
4. सभापति, स्थायी समिति स्वास्थ्य एवं महिला बाल कल्याण जनपद पंचायत सारंगढ़ को सादर सूचनार्थ।
5. संबंधित ग्राम पंचायत सरपंच, ग्राम पंचायत..... विकासखण्ड सारंगढ़ को सूचनार्थ। कृपया संबंधित ग्राम कोटवार से मुनादी कराने हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6. संबंधित पर्यवेक्षक, सेक्टर .....को सूचनार्थ कर निर्देशित किया जाता है कि आप ग्राम/वार्ड में मुनादी करवाकर मुनादी प्रमाण पत्र 3 दिवस के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।
7. संबंधित ग्राम की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की ओर सूचनार्थ। आप अपने आंगनबाड़ी केन्द्र में विज्ञापन चस्पा कर अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करे।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
कोसीर, जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़(छ0ग0)

Scanned with OKEN Scanner